

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 22, 1981/श्रावण 31, 1903  
No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, August 22, 1981/SRAVANA 31, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं  
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India  
(other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय  
(कानूनी और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1981

का० अ० 2203.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा-परीक्षा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के सम्बन्ध में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) तृतीय संशोधन नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में,—

- (i) "भाग 8, पुनर्विलोकन" शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:—  
"भाग 8, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन";
- (ii) नियम 29 के उपनियम (1) में,  
(क) "पुनर्विलोकन" शब्द के स्थान पर "पुनरीक्षण" शब्द रखा जाएगा;  
(ख) प्रथम परन्तुक में, शब्द "पुनर्विलोकन प्राधिकारी" के स्थान पर "पुनरीक्षण प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;  
(ग) द्वितीय परन्तुक में, शब्द "पुनर्विलोकन की शक्ति" के स्थान पर "पुनरीक्षण की शक्ति" शब्द रखे जाएंगे;
- (iii) नियम 29 के उपनियम (2) में, "पुनर्विलोकन" शब्द के स्थान पर "पुनरीक्षण" शब्द रखा जाएगा;

(iv) नियम 29 के उपनियम (3) में, "पुनर्विलोकन" शब्द के स्थान पर "पुनरीक्षण" शब्द रखा जाएगा ;

(v) नियम 29 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अस्तः-  
स्थापित किया जाएगा :—

"29 क, पुनरीक्षण—सभापति किसी भी समय या तो स्वप्रेरणा से या अन्यथा नियमों के अधीन पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन उस समय कर सकेगा जब कोई ऐसी नई सामग्री या साक्ष्य जो कि पुनर्विलोकन के अधीन आदेश को पारित करते समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका था या उपलब्ध नहीं था और जो, कि मामले की प्रकृति को परिवर्तित करने का प्रभाव रखता है उसकी जानकारी में आता है या लाया जाता है :

परन्तु सभापति किसी शास्ति को अधिरोपित करने वाला या बढ़ाने वाला कोई आदेश तब तक नहीं करेगा जब तक कि संबंधित सरकारी सेवक को प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध अप्रत्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर दिया गया हो या जहाँ नियम 11 में विनिर्दिष्ट किन्हीं बड़ी शास्तियों में से किसी शास्ति को अधिरोपित किए जाने या उस आदेश द्वारा, जिसका पुनर्विलोकन चाहा गया है, अधिरोपित किसी छोटी शास्ति को बड़ी शास्ति में बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। और यदि नियम, 14 के अधीन मामले का पहले ही जांच नहीं की गई है तो वहाँ नियम 14 में अधिकृत रीति में जांच करने के पश्चात् ही नियम 19 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और आयोग से परामर्श करने के पश्चात् ही जहाँ ऐसा परामर्श आवश्यक है, ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित की जाएगी।"

[मं० 11012/1/80-स्या० (ए०)]

बी० एस० निम, उप सचिव

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 6th August, 1981

**S.O. 2203.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 read with Clause (5) of Article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) THIRD Amendment Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965,—

(i) for heading "Part VIII, Review", the following heading shall be substituted, namely :—

"Part VIII—Revision and Review",

(ii) in sub-rule (1) of rule 29.

(a) for the word 'review', the word 'revise' shall be substituted ;

(b) in the first proviso, for the words 'reviewing authority', the words 'revising authority' shall be substituted ;

(c) in the second proviso, for the words "power of review", the words "power of revision" shall be substituted ;

(iii) in sub-rule (2) of rule 29, for the word 'review', the word 'revision' shall be substituted ;

(iv) in sub-rule (3) of rule 29 for the word 'review', the word 'revision' shall be substituted ;

(v) after rule 29, the following rule shall be inserted namely :—

"29-A. Review.—The President may, at any time, either on his own motion for otherwise, review any order passed under these rules, when any new material or evidence which could not be produced or was not available at the time of passing the order under review and which has the effect of changing the nature of the case, has come, or has been brought, to his notice ;

Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by the President unless the Government servant concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposed or where it is proposed to impose any of the major penalties specified in rule 11 or to enhance the minor penalty imposed by the order sought to be reviewed to any of the major penalties and if an enquiry under rule 14 has not, already been held in the case, no such penalty shall be imposed except after inquiring in the manner laid down in rule 14, subject to the provisions of rule 19, and except after consultation with the Commission where such consultation is necessary."

[No. 11012/1/80-Estt.(A)]

B. S. NIM, Dy. Secy.